

22/5/25

पत्रावली पेशद्वारे । वकील प्रायशः इपं ।

स्वीकार किया प्रांपत्र पर लक्ष सुधी
जाकर इयत् प्रांपत्र स्वीकार किया
गया । नियम पृथक से रेकाष करवाय
जाकर शामिल मिसल हू । आदेश
शुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

अधिकारी
सॉफ्ट लेक

